	पत्रावली ... दिनांक: 15/10/19 07 R11 हेतु पेश हो
14/10/19	प्रसाई पर है प्रा.क्रम कार्यवाही हेतु दिनांक 15/11/19 को पेश हो
15/11/19	व.का. उपस्थित प्रा.पत्र 07 R11 पर उभय-पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने प्रा.पत्र में खसरा 1 से खसरा नम्बर 2 से वादी गण की ओर से वाद-पत्र में रास्ते को लेकर अभि. वचन चाहा गया है चूंकि वादीगण का चाहा गया सम्पूर्ण रास्ते का है जो अनुतोष प्रदान करने का एक मात्र होगा अधिकार सिविल न्यायालय को है वादीगण वाद-पत्र

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	क्षेत्राधिकार से बाहर पेश किया है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के नहीं होने के कारण वाद पत्र को स्वाधीन किया जावे। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी बहस में भी प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये है वाद-पत्र को स्वाधीन करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में वाद [illegible], दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है तथा राजस्व रिकार्ड के दुरुस्त करवाने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है उक्त रास्ता सुविधा रिकार्ड में मौजूद था। जो सहमति से प्रतिवादी की सातेदारी में दर्ज हो गयी। जिसको दुरुस्त करवाने का राजस्व न्यायालय को अधिकार है। प्रा.पत्र/पत्रावली का अवलोकन किया गया। व बहस पर मनन किया गया। वादीगण ने	

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		वाद-पत्र प्रतिवादी की खातेदारी रास्ते को अपने नाम खातेदारी करवाने की दादरसी चाही गई जो वादी-पत्र में चाही गई दादरसी राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है रास्ते के बाबत राजस्व का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रा. पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रा. पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है वादी का वाद-पत्र खारिज किया जाता है पक्षकार डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर के बाद हो तथा दाखिल दफ्तर हो (हस्ताक्षर) ... अधिकारी ... जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

उनवान :– प्रभु बनाम कजोड़ा वगै0
निर्णय प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11
निर्णय दिनाक :– 15.11.19

अन्तिम डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व
अजलास हिम्मत सिंह आरएएस

1. प्रभू पुत्र नारायण
2. सुरेश कुमार पुत्र नारायण
3. सीता देवी पत्नी नारायण
4. प्रभाती देवी पुत्री चौथूराम
5. मोहनलाल पुत्र चौथूराम
6. रामगोपाल पुत्र चौथूराम
7. लल्लूराम पुत्र चौथूराम

समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी सन्तों की ढाणी ग्राम मोरीजा तहसील चौमूं जिला जयपुर।

8. अजय कुमार पुत्र स्व.रामस्वरूप।
9. कु. ममता पुत्री स्व. रामस्वरूप।

वादीगण संख्या 8 व 9 नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति सावित्री देवी पत्नी स्व. रामस्वरूप जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी सन्तो की ढाणी ग्राम मोरीजा तहसील चौमूं जिला जयपुर।

बनाम

1. कजोडमल पुत्र बिरदा
2. छाजूराम पुत्र फूला
3. प्रभूदयाल पुत्र बिरदा
4. राजेश कुमार पुत्र छिगनलाल
5. श्यामलाल पुत्र भूरा
6. सांवरमल पुत्र फूला
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89, व 188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं0 95/2019

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी व प्रतिवादी हाजरी मिनजामिन मुददई रूबरू मुकेश कुमार मूंड आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि :– प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत प्रा0 पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर वादीया का वाद पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार में नही होनें सें खारीज किया जाता है।

आज बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज दिनांक 15.11.19 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दस्तखत ....
ओहदा..........

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान	1	
मीजान	3				

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.02.06 14:19:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: